संख्या-169 /2016 /2158 / चार-2016 -27 (बजट)/14

प्रेषक,

जगदीश प्रसाद
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 11 नवम्बर , 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में संग्रहालय का सुदृढीकरण एवं उच्चीकरण योजनान्तर्गत राज्य संग्रहालय लखनऊ परिसर स्थित ओल्ड कोठी के दरवाजों की मरम्मत एवं विकास आदि अवशेष कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय अपने पत्र संख्या- 619 /उ0प्र0सं0नि0-5(14)/2013 दिनांक 30 सितम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि संग्रहालय का सुदृढीकरण एवं उच्चीकरण योजनान्तर्गत राज्य संग्रहालय लखनऊ परिसर स्थित ओल्ड कोठी के दरवाजों की मरम्मत एवं विकास आदि अवशेष कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु मूल्यांकित धनराशि रू0 62.57 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-96/2016/383/चार-2016-27(बजट)/14 दिनांक 31 मार्च,2016 द्वारा रू0 31.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गयी। , तद्क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रश्नगत कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 31.57 लाख (रूपया इक्तीस लाख सत्तावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण /उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- शासनादेश संख्या-96/2016/383/चार-2016-27(बजट)/14 दिनांक 31 मार्च,2016 में उल्लिखित अन्य प्रतिबन्ध /शर्ते आदि यथावत रहेगी।

4 - उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजनागत पक्ष के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान व्यय-42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

5 - वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जगदीश प्रसाद)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या - 169 /2016 / 2158(1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ ।
5 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6 - परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7 - वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8 - निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।
9 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।